

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

संख्या- 588

दिनांक- 03/03/2021

प्रबंधक,

जे०के० सिन्हा मेमोरियल इण्टरनेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग, बिरसा मुण्डा पार्क

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अधीन विद्यालय के लिए प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 30.12.2020 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति की दिनांक 01.03.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जे०के० सिन्हा मेमोरियल इण्टरनेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग, बिरसा मुण्डा पार्क को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धों को पूर्ण रूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा से उस कक्षा में बालक/बालिकाओं कि संख्या 25 प्रतिशत तक का आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उपलब्ध करेगा।
4. उक्त कंडिका 3 में उल्लेखित बालक/बालिकाओं के लिए, विद्यालय को अधिनियम कि धारा 12 कि उपधारा (2) के उपबन्धों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार के बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैंपिटेसन शुल्क नहीं लेगा। और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक/बालिका या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार स्कीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक/बालिका को उसकी आयु का सबुत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिती में अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक/बालिका को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी कक्षा में अनुतिर्ण नहीं किया जाएगा। या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,

(ii) किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जायेगा

(iii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक/बालिका से कोई बोर्ड परीक्षा उर्तिण करने कि अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा,

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशकता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा,

(vi) अध्यापको कि भर्ति अधिनियम की धारा 3(1) के अधिन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताओं के अनुरूप किया जायेगा, तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्तार्ये अर्जित कर लेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करें। और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन की कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन करेंगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानको और सन्नियमों को बनाये रखेगा।

10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधार्ये नियमानुसार है:-

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल,

(ii) कूल निर्मित क्षेत्र,

(iii) किडा-स्थल का क्षेत्रफल,

(iv) कक्षाओं की संख्या,

(v) प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-भण्डागार के लिए कक्ष,

(vi) बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय,

(vii) पेयजल सुविधा,

(viii) बाधारहित पहुँच,

(ix) अध्यापन पठन सामग्री/किडा खेल-कुद उपस्करों/पुस्तकालय कि उपलब्धता।

11. विद्यालय के परिसर के भितर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

588
03/03/2021

2

र.

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का किडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखों कि किसी चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा सम परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजि जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो समय समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानिय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधि शर्तों का शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।

16. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधिन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधिन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो तो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 33/2021 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाय।

3/3/21
जिला शिक्षा अधीक्षक
धनबाद

झापांक 588 / धनबाद, दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि:- संबंधित, क्षेत्र शिक्षा पदाधीकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/21
जिला शिक्षा अधीक्षक
धनबाद

झापांक 588 / धनबाद, दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि:- उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति, धनबाद एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/21
जिला शिक्षा अधीक्षक
धनबाद